"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 15, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9–1/2011/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्र. 682/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2011/15946, दिनांक 29–06–2021 द्वारा आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, ग्राम–चोरहा, आर.आई. सर्किल अहिवारा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के अनुगामी अध्यादेश कमांक 40 से 44 तथा संशोधित अध्यादेश कमांक 06 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 9–1/2011/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01–09–2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 1st September 2021

NOTIFICATION

No. F 9-1/2011/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 682/PU/S&O/2011/15946, Dated 29-06-2021 has approved the New Ordinance No. 40 to 44 and amendment of Ordinance No. 06 of I.C.F.A.I. University, Gram-Chorha, R.I. Circle Ahiwara, Tehsil-Dhamdha, District-Durg, Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.

अध्यादेशक्रमांक–40

बैचलर ऑफ लॉ(ऑनर्स)

[एलएल. बी.(ऑनर्स)]

1. डिग्री का नामः बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [एलएल. बी. (ऑनर्स)]
2. संकायः बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [एलएल. बी. (ऑनर्स)]कार्यक्रम विधिसंकाय द्वारा संचालित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक वर्षः हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
4. प्रवेश की पात्रता
   i. एलएल. बी. (ऑनर्स)में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय विश्विविद्यालय से भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित निम्नतम प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधिया उसके समकक्ष होनाहोगा।
   ii. एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी., भारतीय विधिज्ञ परिषद और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा। प्रवेश पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
   iii. विश्वविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद के दिशानिर्देशों के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय / संस्थानों से बीएलएल. बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में स्थानांतरित छात्रों को प्रवेश दे सकता है। ये प्रवेश किसी भी स्तर पर कार्यक्रम की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा। किंतु प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्थानांतरण को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
   iv. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।
   v. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
   vi. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष, कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले, प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट, नोटिस बोर्ड एवं अन्य प्रचार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाएगा।
5. सीट की संख्या

   कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।

6. **कार्यक्रम शुल्क**

कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा प्राप्त अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

7. **पाठ्यक्रम की अवधिः**

1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छः सेमेस्टरों में विभाजित होगी।
2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।
3. विद्यार्थी द्वारा एलएल. बी. (ऑनर्स) पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
4. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

8. **अध्ययनविषयवस्तुः**

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषय वस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

9. **परीक्षाः**

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, कुलपति की अनुमति पर विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति,पैरा11में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।
4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इनपरीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

10. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

11. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं जिसे अभिलिखित किया जाएगा।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।

9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।

10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) पाठ्यक्रम की रचनाः पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षा पद्धति,मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास होना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

ORDINANCE No.40

Bachelor of Law (Honors)

LL.B. (Hons)

1. TITLE OF DEGREE: Bachelor of Law (Honors) [LL.B. (Hons)]
2. FACULTY: This undergraduate course of (LL.B. (Hons)) shall be offered in the Faculty of Law.
3. ACADEMIC YEAR: There shall be two semester: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (i) The minimum qualification for admission to first year of LLB (Hons) curriculum shall be passing of Graduation from a recognized State/National/International University or equivalent there to with a minimum percentage of marks as may be prescribed by the Bar Council of India. The admission will be done on merit basis purely.
   (ii) Admission to course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC, Bar Council of India and the State Government.
   (iii) The University may admit a student to LL.B. (Hons) course on transfer from other Institutes /Universities as per the guidelines of Bar Council of India. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program. However, no student will be permitted to be transferred during the first year under the scheme.
   (iv) Reservation Rules of the State Government shall be applicable for admission.
   (v) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
   (vi) An advertisement shall be made by the University for Admission to the course in the University website, Notice Board and other publicity medium, prior to the commencement of the course every year.
5. SEATS The Class shall have 60 Seats and multiple sections can be setup.
6. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University after obtaining approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
7. DURATION OF THE COURSE
   (1) The duration of the course shall be three years divided into six semesters.
   (2) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.
   (3) The maximum duration available to a student for completion of LLB (Hons)Course shall be five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication, if any.

(4) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. COURSE CONTENT

The course content for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of Studies after obtaining approval from Academic Council.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the program of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator with the approval of the Vice Chancellor due to any of the following reasons:-

(a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 11related to attendance.

(4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by virtue of the provisions of ordinances.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in the special cases, to be recorded in writing.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the program and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before it is published.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses . Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained above, the University shall ensure that the study program leading to degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

अध्यादेशक्रमांक–41

बैचलर ऑफ आर्ट्स - बैचलर ऑफ लॉ(ऑनर्स)

[बी.ए. एलएल. बी.(ऑनर्स)]

1. डिग्री का नामः बैचलर ऑफ आर्ट्स - बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [बी.ए. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)]

2. संकायः बैचलर ऑफ आर्ट्स - बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [बी.ए. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)] कार्यक्रम विधिसंकाय द्वारा संचालितकिया जाएगा।

3. शैक्षणिक वर्षः हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

4. प्रवेश की पात्रता

i. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय विश्विविद्यालय / बोर्ड से कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अथवा जैसा भी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए, होगा।प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

ii. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी., भारतीय विधिज्ञ परिषद और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।

iii. विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय / संस्थानों से बीबी.ए. एलएल. बीं. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में स्थानांतरित छात्रों को प्रवेश दे सकता है। ये प्रवेश किसी भी स्तर पर कार्यक्रम की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा। किंतु प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्थानांतरण को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।

iv. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।

v. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष, कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले, प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट, नोटिस बोर्ड एवं अन्य प्रचार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाएगा।

5. सीट की संख्या

कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।

6. कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा प्राप्त अनुमोदन के पश्चात किया
जाएगा।

7. पाठ्यक्रम की अवधिः

1. पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष की होगी जो कि दस सेमेस्टरों में विभाजित होगी।
2. तीन वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर उम्मीदवार को बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि के साथ विश्वविद्यालय से जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
3. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।
4. विद्यार्थी द्वारा बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स) पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 8 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

8. अध्ययन विषयवस्तुः

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषयवस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

9. परीक्षाः

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, कुलपति की अनुमति परविद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति,पैरा11में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।

4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

10. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

11. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं जिसे अभिलिखित किया जाएगा।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।

8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) पाठ्यक्रम की रचनाः पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षापद्धति,मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5

P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास होना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

ORDINANCE No.41

Bachelor of Arts - Bachelor of Law (Honors) (BA.LLB (Hons))

1. TITLE OF DEGREE: Bachelor of Arts - Bachelor of Law (Honors) (B.A.LL.B. (Hons))
2. FACULTY: This undergraduate course of (B.A.LL.B. (Hons))shall be offered in the Faculty of Law.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December; SecondSemester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (i) The minimum qualification for admission to first year of (BA.LLB. (Hons))curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) from a recognized State / National/ International, Board / University with at least 45% marks as may be prescribed by the Bar Council of India. The admission will be done on merit basis purely.
   (ii) Admission to BA.LLB. (Hons) course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC, Bar Council of India and the State Government.
   (iii) The University may admit a student to BA.LLB. (Hons) course on transfer from other Institutes /Universities as per the guidelines of Bar Council of India. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program. However, no student will be permitted to be transferred during the first year under the scheme.
   (iv) Reservation Rules of the State Government shall be applicable for admission.
   (v) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
   (vi) An advertisement shall be made by the University for Admission to the course in the University website, Notice Board and other publicity medium, prior to the commencement of the course every year.
5. SEATS The Class shall have 60 Seats and multiple sections can be setup.
6. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University after obtaining the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
7. DURATION OF THE COURSE
   (1) The duration of the course shall be five years divided into ten semesters.
   (2) Candidates willing to exit the course after completion of three year may be allowed to avail the degree - Bachelor of Arts.
   (3) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.

(4) The maximum duration available to a student for completion of (B.A.LL.B. (Hons))Course shall be eight years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication, if any.

(5) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. COURSE CONTENT:-

The course contents for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of Studies after obtaining approval from Academic Council.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the program of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator with the approval of the Vice Chancellor due to any of the following reasons:-

(a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, ifthe attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 11related to attendance.

(4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by virtue of the provisions of ordinances.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in the special cases to be recorded in writing.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the program and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before it is published.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:

Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB .	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses . Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained above, the University shall ensure that the study program leading to BA.LLB. (Hons) degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No.-16 with appropriate entry.

*****

अध्यादेशक्रमांक–42

बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर - ऑफ एजुकेशन

(बी.ए.बी.एड.)

1. डिग्री का नामः बैचलर ऑफ आर्ट्स - बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड.)

2. संकायः बैचलर ऑफ आर्ट्स - बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड.)कार्यक्रम शिक्षा संकाय द्वारा संचालितकिया जाएगा ।

3. शैक्षणिक वर्षः हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे । पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा ।

4. प्रवेश की पात्रता

(i) बी.ए.बी.एड.कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय / बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा में संबंधित विषयों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम सकल अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा ।

(ii) बी.ए.बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के आरंभ में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी., राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) अथवा प्रदेश सरकार की दिशानिर्देशों के अनुरुप होंगे।प्रवेश पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(iii) विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है ।

(iv) प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।

(v) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष, कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले, प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट, नोटिस बोर्ड एवं अन्य प्रचार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाएगा।

5. सीट की संख्या

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार ।

6. कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क, प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (AFRC), छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

7. पाठ्यक्रम की अवधिः

1. पाठ्यक्रम की अवधि चारवर्ष की होगी जो कि आठ सेमेस्टरों में विभाजित होगी ।
2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।

3. विद्यार्थी द्वारा बी.ए.बी.एड. पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी । पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी ।
4. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा ।

8. अध्ययन विषयवस्तुः

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषयवस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी ।

9. परीक्षाः

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके । सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी ।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा ।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, कुलपति की अनुमति परविद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 11 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है ।
4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इनपरीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं ।

10. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है ।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे ।

11. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं जिसे अभिलिखित किया जाएगा ।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.5CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचना:

(1) पाठ्यक्रम की रचना: पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षापद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार है:-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पासहोना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.ए.बी.एड.पाठ्यक्रम यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

15. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों एवं मानदण्डों का पालन करेगा।

*****

ORDINANCE No. 42

Bachelor of Arts - Bachelor of Education(B.A.B.Ed.)

1. TITLE OF DEGREE: Bachelor of Arts - Bachelor of Education (BA.B.Ed.)
2. FACULTY: Faculty of Education.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December and Second Semester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (i) The minimum qualification for admission to first year of BA.B.Ed. curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) from a recognized State / National/ International Board / University in relevant subjects with a minimum aggregate marks as prescribed by National Council of Teacher Education (NCTE).
   (ii) Admission to this course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the NCTE or the State Government. Admission will be done on merit basis purely.
   (iii) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.
   (iv) Reservation Rules of the State Government shall be applicable for admission.
   (v) An advertisement shall be made by the University for Admission to the course in the University website, Notice Board and other publicity medium, prior to the commencement of the course every year.
5. SEATS Number of seats shall be as approved by NCTE
6. COURSE FEE
   Course fee shall be fixed by Admission and Fee regulatory Committee (AFRC), Chhattisgarh.
7. DURATION OF THE COURSE
   (1) The duration of the course shall be four years divided into eight semesters.
   (2) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.
   (3) The maximum duration available to a student for completion of B.A.B.Ed. Course shall be Six years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.

(4) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. COURSE CONTENT:-

The course contents for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of Studies after obtaining approval from Academic Council.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons :-

(a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of thedepartment/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 11related to attendance.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each

subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may relax 15% of attendance on the special cases, to be recorded in writing.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum and Board of Studies and shall be approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of diploma a candidate should have secured minimum 4.5 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concern Board of Studies and shall be approved by the Academic Council incorporating the guidelines provided by National Council for Teacher Education.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division

>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Not-withstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to BA.B.Ed. shall conform, to the set norms of the UGC, NCTE or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

15. The University shall follow the other guidelines and norms of National Council for Teacher Education.

*****

अध्यादेशक्रमांक–43

बैचलर ऑफ साईंस - बैचलर ऑफ एजुकेशन(बी.एससी.बी.एड.)

1. डिग्री का नामः बैचलर ऑफ साईंस - बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड.)
2. संकायः बैचलर ऑफ साईंस - बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड.)कार्यक्रम शिक्षासंकाय द्वारा संचालितकिया जाएगा।
3. शैक्षणिक वर्षः हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
4. प्रवेश की पात्रता
   (i) बी.एससी.बी.एड.कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय / बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा में विज्ञान के विषयों जैसे भौतिकी, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तुशास्त्र इत्यादि के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षापरिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम सकल अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा।।
   (ii) बी.एससी.बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के आरंभ में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी., राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) अथवा प्रदेश सरकार की दिशानिर्देशों के अनुरुप होंगे।प्रवेशपूर्णतःयोग्यता के आधार पर किया जाएगा।
   (iii) विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
   (iv) प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।
   (v) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष,कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले ,प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट , नोटिस बोर्डएवं अन्य प्रचार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाएगा।
5. सीट की संख्या
   राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार।
6. कार्यक्रम शुल्क
   कार्यक्रम शुल्क, प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (AFRC), छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित की जाएगी।
7. पाठ्यक्रम की अवधिः
   1. पाठ्यक्रम की अवधि चारवर्ष की होगी जो कि आठ सेमेस्टरों में विभाजित होगी।
   2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।

3. विद्यार्थी द्वारा बी.एससी.बी.एड. पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
4. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

8. **अध्ययन विषयवस्तुः**

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषयवस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

9. **परीक्षाः**

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़ आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, कुलपति की अनुमति परविद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 11 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।
4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

10. **प्रगति का मूल्यांकनः**

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

11. **उपस्थितिः**

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं जिसे अभिलिखित किया जाएगा।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.5CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) पाठ्यक्रमकीरचनाः पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षापद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास होना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा

उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.एससी.बी.एड.पाठ्यक्रम यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

15. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों एवं मानदण्डों का पालन करेगा।

*****

ORDINANCE No. 43

Bachelor of Science -Bachelor of Education(B.Sc.B.Ed.)

1. TITLE OF DEGREE:Bachelor of Science - Bachelor of Education (B.Sc.B.Ed.)
2. FACULTY: Faculty of Education.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December and Second Semester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (i) The minimum qualification for admission to first year of B.Sc.B.Ed. curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) with Science subjects like Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Botany, Zoology etc. from a recognized State / National/ International Board / University in relevant subjects with a minimum aggregate marks as prescribed by National Council of Teacher Education (NCTE) with a minimum aggregate marks as prescribed by NCTE.
   (ii) Admission to this course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the NCTE or the State Government. Admission will be done on merit basis purely.
   (iii) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.
   (iv) Reservation Rules of the State Government shall be applicable for admission.
   (v) An advertisement shall be made by the University for Admission to the course in the University website, Notice Board and other publicity medium, prior to the commencement of the course every year.
5. SEATS Number of seats shall be as approved by NCTE
6. COURSE FEE
   Course fee shall be fixed by Admission and Fee regulatory Committee (AFRC), Chhattisgarh.
7. DURATION OF THE COURSE
   (1) The duration of the course shall be four years divided into eight semesters.
   (2) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.
   (3) The maximum duration available to a student for completion of B.Sc.B.Ed..Course shall be Six years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.

(4) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. COURSE CONTENT:-

The course contents for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of Studies after obtaining approval from Academic Council.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:

(a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 11 related to attendance.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each

subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may relax 15% of attendance on the special cases, to be recorded

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum and Board of Studies and shall be approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the diploma programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of diploma a candidate should have secured minimum 4.5 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concern Board of Studies and shall be approved by the Academic Council incorporating the guidelines provided by National Council for Teacher Education.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Not-withstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to B.Sc.B.Ed..shall conform, to the set norms of the UGC, NCTE or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

15. The University shall follow the other guidelines and norms of National Council for Teacher Education.

*****

अध्यादेशक्रमांक –44

मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.)

1. **डिग्री का नामः** मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.)
2. **संकायः** वाणिज्य संकाय
3. **शैक्षणिक वर्षः** शैक्षणिक सत्र के दो सेमेस्टरहोंगे। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक का होगा।
4. **कार्यक्रम अंतरालः**
   1. यह स्नातकोत्तर उपाधि दो वर्ष का होगा जोकि 4 सेमेस्टर (सत्र) में विभाजित रहेगा।
   2. इस मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.) कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी। अधिकतम अवधि में अनुपस्थिति, विभिन्न प्रकार के अनुमति प्राप्त अवकाश, सम्मिलित होंगे किंतु निष्कासन की समयावधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. **प्रवेश की पात्रता**
   (i) मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.) में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय बोर्ड या विश्विविद्यालय सेसंबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अथवा उसके समकक्ष होगा।
   (ii) मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी. और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा। प्रवेश पूर्णतः प्रावीण्यता के आधार पर होगा।
   (iii) विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय / संस्थानों से एम.कॉम. पाठ्यक्रम में स्थानांतरित छात्रों को प्रवेश दे सकता है। ये प्रवेश किसी भी स्तर पर कार्यक्रम की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा।
   (iv) विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
6. **सीट की संख्या**
   प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कुल 40 स्थान होंगे। आवश्यकतानुसार गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।
7. **कार्यक्रम शुल्क**
   कार्यक्रम शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा कराया जाएगा।
8. **अध्ययन विषयवस्तुः**

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषयवस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

9. परीक्षाः

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 11 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।
4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इनपरीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

10. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

11. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.50 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा।

अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) पाठ्यक्रम की रचनाः पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षापद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पासहोना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots}{u_1 + u_2 + u_3 \ldots\ldots\ldots\ldots}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक प्रतिशत में बदलने के लिए प्रारुपः -

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एम.कॉम पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिप्लोमा प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

ORDINANCE No.44

Master of Commerce (M. Com.)

1. TITLE OF DEGREE: Master of Commerce-M.Com.
2. FACULTY: Faculty of Commerce.
3. ACADEMIC YEAR: There shall be two semester in each academic year: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. DURATION OF COURSE
   (1) The duration of the postgraduate course shall be of two years divided into four semesters.
   (2) The maximum duration available to a student for completion of M.Com. Course shall be four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.
5. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (I) The minimum qualification for admission to first semester of M.Com. curriculum shall be a B.com degree or a degree equivalent there to passing of Graduation from a recognized State/National/International University or equivalent thereto with the subject concerned.
   (II) Admission to M.Com. course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC and the State Government. The admission will be done on merit basis purely.
   (III) The University may admit a student to M.Com. course on transfer from other Institutes /Universities subject to the provisions as laid down by the concerned regulatory body. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program.
   (IV) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.
6. SEATS The Class will have 40 Seats and multiple sections can be setup.
7. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University and obtain the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
8. Course Content :- The course content for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of studies after obtaining approval from the Academic Council.
9. EXAMINATIONS
   (1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the program of study.
   (2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.
   (3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:
      (a) Disciplinary action taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 11 related to attendance.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may relax 15% of attendance on the special cases, to be recoded in writing.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum and Board of Studies and shall be approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the program and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.5 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. Program structure:

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Not-withstanding the above, the University shall ensure that the study program leading to M.Com. degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

विश्वविद्यालय का अध्यादेश क्र. 06, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन - बैचलर ऑफ लॉ (बी. बी.ए. - एलएल. बी.) जो कि पूर्व मेंप्रकाशित हो चुका है, वर्तमान परिदृश्य के अनुरुप इस अध्यादेशको अद्यतन करने हेतु इसमें बहुत से संशोधन की आवश्यकता है अतः पूर्व में प्रकाशित अध्यादेश क्र. 06 को निरस्त कर संशोधित अध्यादेश क्र. 06 निम्नानुसार होगाः-

अध्यादेशक्रमांक–06 (संशोधित)

बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन - बैचलर ऑफ लॉ(ऑनर्स)

[बी. बी. ए. एलएल. बी.(ऑनर्स)]

1. **डिग्री का नामः** बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन -बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [बी. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)]

2. **संकायः** बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन - बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) [बी. बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)]कार्यक्रम विधिसंकाय द्वारा संचालितकिया जाएगा।

3. **शैक्षणिक वर्षः** हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रवेश की पात्रता**

(i) बी. बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय विश्विविद्यालय / बोर्ड से कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अथवा जैसा भी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए, होगा। प्रवेश पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(ii) बी. बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी., भारतीय विधिज्ञ परिषद और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।

(iii) विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय / संस्थानों से बीबी. बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में स्थानांतरित छात्रों को प्रवेश दे सकता है। ये प्रवेश किसी भी स्तर पर कार्यक्रम की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा। किंतु प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्थानांतरण को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।

(iv) प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।

(v) विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष, कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले, प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट, नोटिस बोर्ड एवं अन्य प्रचार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाएगा।

5. सीट की संख्या

कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।

6. कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा कराया जाएगा।

7. पाठ्यक्रम की अवधिः

1. पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष की होगी जो कि दस सेमेस्टरों में विभाजित होगी।
2. तीन वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर उम्मीदवार को बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि के साथ विश्वविद्यालय से जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
3. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।
4. विद्यार्थी द्वारा बी. बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स) पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 8 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

8. अध्ययन विषयवस्तुः

हर सेमेस्टर की अध्ययन विषयवस्तु इस प्रकार की होगी जो कि जिसकी रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

9. परीक्षाः

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, कुलपति की अनुमति परविद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः

a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण

b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकीकक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 11 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।

4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इनपरीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

10. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगतिसतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

11. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं, जिसे अभिलिखित किया जाएगा।

12. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.5CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी । यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

13. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

14. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) पाठ्यक्रम की रचनाः पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षापद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटरग्रेड का दिया जाना)– विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9

A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास होना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

SGPA एवं CGPA

SGPAसेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी. बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स)पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

Ordinance No. 06, Bachelor of Business Administration – LL.B of the ICFAI University Raipur has already been published. Too many amendments are required to update the ordinance as per the current scenario, therefore, the original Ordinance No. 06 is herewith repealed and revised Ordinance No. 06 shall be as under:-

ORDINANCE No.06 (Revised)

Bachelor of Business Administration - Bachelor of Law (Honors) (B.B.A.LL.B. (Hons))

1. TITLE OF DEGREE: Bachelor of Business Administration - Bachelor of Law (Honors) (B.B.A.LL.B. (Hons))
2. FACULTY: Faculty of Law.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December; SecondSemester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (i) The minimum qualification for admission to first year of (B.B.A.LL.B. (Hons)) curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) from a recognized State / National/ International Board / Universitywith at least 45% marks as may be prescribed by the Bar Council of India. The admission will be done on merit basis purely.
   (ii) Admission to (B.B.A.LL.B. (Hons)) course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the Governing Body of the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC, Bar Council of India and the State Government.
   (iii) The University may admit a student to (B.B.A.LL.B. (Hons))course on transfer from other Institutes /Universities as per the guidelines of Bar Council of India. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program. However, no student will be permitted to be transferred during the first year under the scheme.
   (iv) Reservation Rules of the State Government shall be applicable for admission.
   (v) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
   (vi) An advertisement shall be made by the University for Admission to the course in the University website, Notice Board and other publicity medium, prior to the commencement of the course every year.
5. SEATS The Class will have 60 Seats and multiple sections can be setup.
6. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University and the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission shall be obtained.
7. DURATION OF THE COURSE

(1) The duration of the course shall be five years divided into ten semesters.

(2) Candidates willing to exit the course after completion of three year may be allowed to avail the degree - Bachelor of Business Administration.

(3) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.

(4) The maximum duration available to a student for completion of (B.B.A.LL.B. (Hons)) Course shall be eight years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.

(5) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. COURSE CONTENT:-

The course contents for each semester shall be such as may be prescribed and decided by the concerned Board of Studies after obtaining approval from Academic Council.

9. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the program of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator with the approval of the Vice Chancellor due to any of the following reasons:

(c) Disciplinary action taken against the student.

(d) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, ifthe attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para **11**related to attendance.

(4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by virtue of the provisions of ordinances.

10. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

11. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in the special cases to be recorded in writing.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the degree program and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.5 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

13. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

14. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before it's published.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
>=9.00 and above	Distinction
>=6.5 and < 9.00	First Division
>=4.5 and< 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses . Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained above, the University shall ensure that the study program leading to B.B.A.LL.B. (Hons)degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.